न्यायालय अवर न्यायाधीश,द्वितीय

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–153 सन् 2024

राम स्वरूप महाराज वल्द स्व0 कृपानाथ महाराज.....वादी।

बनाम

राजकिशोर महाराज वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–25.07.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 01 एवं 02 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19.07.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी के विद्वान अधिवक्ता का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन दिनांक 07.06.2024 को न्यायालय द्वारा निर्गत हो चुका है, परंतु अभी तक प्रतिवादीगण के तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं तथा वाद में वर्णित सिडियुल नं0 03 का लॉट नं0–10 में वर्णित विवादित एराजी प्रतिवादी अपने माता सीमा कुंअर के द्वारा जानबूझकर भूमि में विवाद पैदा करने हेतु दिनांक–20.06.2024 को तीसरे पक्ष को बेंच दिया गया है। जिसकी सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर दाखिल किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि वादपत्र में वर्णित सिडियुल नं0 03 के लॉट नं0–10 में वर्णित भूमि को किसी तीसरे पक्ष के द्वारा बेंच दिया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद को लंबित रहते हुए प्रतिवादी के द्वारा एवं अन्य के साथ मिलकर शेष विवादित भूमि को भी बेचने पर अमादा है। ऐसी परिस्थिति में अगर वाद में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होने की संभावना है एवं इसकी भरपाई किसी प्रकार से नहीं की जा सकती है। अतः निवेदन है कि कारण पृच्छा निर्गत करते हुए अगली तिथि तक दोनों पक्षों पर वादपत्र में वर्णित तकरारी भूमि पर किसी भी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन करने एवं खरीद–ब्रिकी करने से रोक लगाने की कृपा प्रदान की जाए।

उक्त वाद में प्रतिवादीगण अभी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी

तकरारी एराजी पर इंतनाई हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि वाद में वर्णित सिडियुल नं0 03 का लॉट नं0–10 में वर्णित विवादित एराजी प्रतिवादी की माता सीता कुंअर द्वारा किसी तीसरे पक्ष को जानबूझकर भूमि में विवाद पैदा करने हेतु दिनांक–20.06.2024 को बेंच दिया गया है, जिसकी सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर मौजूद है, जिससे यह प्रथम् दृष्टया प्रतीत होता है कि वाद में प्रतिवादीगण के उपस्थिति तक तकरारी एराजी पर दोनों पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने का ओदश पारित करना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 19.07.2024 के आलोक में दोनों पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद में प्रतिवादीगण के उपस्थिति तक तकरारी एराजी पर यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादीगण को यह कारण पृच्छा जारी किया जाता है कि क्यों न अगले तिथि को वादी के पक्ष में एकपक्षीय इंतनाई आदेश अगले आदेश तक जारी कर दिया जाए।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।